न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 258/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/353)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. बलवीर सिह पुत्र बाल सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. कलवन्त सिह पुत्र मुख्तयार सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरमीत सिह पुत्र मुख्तयार सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. नवदीप कौर पुत्री मुख्तयार सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. परमजीत कौर पुत्री मुख्तयार सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर 5. सुखदेव कौर पत्नी मुख्तयार सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. भगवान सिह पुत्र बाल सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर मृतक 6/1 नसीब कौर पत्नी भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर 6/2 मेजर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6/3 अंग्रेज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर 6/4 करमिन्द्र कौर पुत्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. अनमोल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 07.08.2023

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री मनजीत कचूरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी 6/1 ता 6/4

—निर्णय—

दिनांक: 21/12/2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 5 में कुल 4.807 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारान के नाम से संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में वर्णित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1139/4807 दर्ज है। पक्षकारान के एक ही परिवार व गांव के सदस्य है। इस कारण पक्षकारान ने आपसी सहमति से पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार आज कई वर्षो से मौखिक समझौता के अनुसार अपनी अपनी भूमि का बंटवारा कर रखा है और जिसके अनुसार मुझ वादी का कब्जा चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नं0 5 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 2 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 3 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 10 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 के 0.127 हैक्टर कुल 1.139 हैक्टर कृषि भूमि पर काफी वर्षो से पारिवारिक विभाजन व कब्जानुसार अपनी जोत पर हिस्सा अनुसार निरंतर, निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 7 का कब्जा चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नं0 5 के किला नं0 9 के 126 हैक्टर, किला नं0 8 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.027 हैक्टर उतरी दिशा, कुल 0.461 हैक्टर कृषि भूमि पर काफी वर्षो से पारिवारिक विभाजन व कब्जानुसार अपनी जोत पर हिस्सा अनुसार निरंतर, निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 भी वादी के साथ उक्त बंटवारा के साथ सहमत है, लेकिन वह आज वाद पत्र पेश करने के लिए उपस्थित नही हो सकता है। इस कारण उसको बतौर प्रतिवादी संख्या 7 पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संयोजित किया है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से संयुक्त खाता की भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार कई वर्षो से सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है और संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण हरसमय परेशानी होती है। इस कारण हम बंटवारा के अनुसार संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन करवा लेवे और चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नं0 5 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 2 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 3 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 10 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 के 0.127 हैक्टर कुल 1.139 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम तथा मुरब्बा नं0 5 के किला नं0 9 के 126 हैक्टर, किला नं0 8 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.027 हैक्टर उतरी दिशा, कुल 0.461 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण हमेशा टाल मटोल करते रहे है एवं आज से दो रोज पूर्व वादी ने अन्य प्रतिवादीगण से पुनः आग्रह किया कि हम कब्जा अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि का जोत विभाजन करवा लेवे ताकि भविष्य में असुविधा कारित न हो, तो समस्त प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का लगान व खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत कचूरा उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 1 एन जगतेवाला की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 5 में कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि में पक्षकारान के पिता भगवान सिंह पुत्र बाल सिंह के नाम 1.139 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भगवान सिंह की मृत्यू हो चुकी है। भगवान सिंह के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/4 है। अतः काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/4 को मृतक भगवान सिंह के नाम दर्ज 1.139 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादी का प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है, प्रतिवादीगण को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 6/1 ता 6/4, 7 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 6/1 ता 6/4, 7 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि में वादी बलवीर सिंह के हिस्सा में 1.139 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्त सिंह के हिस्सा में 1.139 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/4 के पिता भगवान सिंह(मृतक) के हिस्सा में 1.139 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 7 अनमोल सिंह के हिस्सा में 0.461 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/4 को मृतक भगवान सिंह के नाम दर्ज 1.139 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1, 6/1 ता 6/4, 7 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 6/1 ता 6/4, 7 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र आरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बलवीर सिह पुत्र बाल सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर (1.139 हैक्टेयर)	1 एन	5	1 ता 3 9 10	0.759 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	6.30 1.05 2.10
2	अनमोल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर (0.460 हैक्टेयर),	1 एन	5	9 8 11 12 13	0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.05 2.10 0.22 0.22 0.22
3	नसीब कौर पत्नी भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, मेजर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, अंग्रेज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, करमिन्द्र कौर पुत्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। (1.139 हैक्टेयर),	1 एन	5	11 12 13 18 19 20	0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.88 1.28 1.28 1.28

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलवीर सिंह बनाम कलवन्त सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53,88,91** आरटीए मुकदमा नम्बर **258/2023**

निर्णय दिनांक :- 21.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बलवीर सिह पुत्र बाल सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर (1.139 हैक्टेयर)	1 एन	5	1 ता 3 9 10	0.759 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	6.30 1.05 2.10
2	अनमोल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर (0.460 हैक्टेयर),	1 एन	5	9 8 11 12 13	0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर 0.027 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.05 2.10 0.22 0.22 0.22
3	नसीब कौर पत्नी भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, मेजर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, अंग्रेज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर, करमिन्द्र कौर पुत्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। (1.139 हैक्टेयर)	1 एन	5	11 12 13 18 19 20	0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.88 1.28 1.28 1.28

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 21.12.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

दिनांकः 21.12.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/582

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)